न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 83/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2011/00029

उनवान

1. राजवती पत्नी सुरेश
2. उदयवीर
3. जयपाल — पुत्रान सुरेश — जाति गूजर नि0 खुडासा तहसील रूपवास जिलाभरतपुर।
4. बलराम
5. बतख पुत्री सुरेश पत्नी महेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी नगला परसा मजरा सोनोठी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. प्रकाश पुत्र रोशन — जाति गूजर नि0खुडासा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
7. राजेन्द्र पुत्र रोशन
8. श्रीमति कमला पुत्री रोशन पत्नी पप्पू जाति गूजर निवासी रसीलपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. श्रीमति सुकन्त पुत्री रोशन पत्नी शिवराम जाति गूजर निवासी तिघरिया तहसील हिण्डौन जिला करौली।
10. केन्द्र पुत्र रोशन — जाति गूजर निवासी खुडासा तह0रूपवास जिला भरतपुर।
11. राकेश पुत्र रोशन
12. श्रीमति रूपकंवर पुत्री रोशन पत्नी श्री लोचन जाति गूजर निवासी रसीलपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बचन सिंह — पुत्रगण श्री किशनलाल जाति गूजर निवासी खुडासा तहसील रूपवास
2. गुमान सिंह — जिला भरतपुर।
3. गोपाल पुत्र जगन
4. मॉगीलाल पुत्र मैंबर
5. बच्चू
6. केदार — पुत्रान छोटेलाल — जाति गूजर नि0 खुडासा तहसील रूपवास, भरतपुर
7. रामस्वरूप
8. बसन्त
9. राजस्थान सरकार।
10. एसबीबीजे बैंक रूपवास जिला भरतपुर।
11. पीएनबी बैंक खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कल्क्टर उच्चैन दि0 06.06.2011 प्र.सं. 16/2008 उनवानी बचन सिंह बनाम गुमान सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक—19.12.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो संख्या 01/वादी, बचन सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एंव शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी रैस्पो0 संख्या 01/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 की खातेदारी व कब्जे—काश्त की आराजी है। विवादित आराजी रैस्पो0 संख्या 01/वादी एवं अपीलाण्ट/ प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 को श्री किशनलाल से व किशनलाल को पारिवारिक विभाजन में अपने पिता श्री गंगाधर से प्राप्त हुई थी। रैस्पो0 संख्या 01/वादी, वाद पत्र के खण्ड संख्या 01 में वर्णित, विवादित आराजी का 1/4 हिस्से में मौके पर काबिज है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एंव शेष रैस्पो0 से उक्त आराजी, का रैस्पो0 संख्या 01/वादी के हिस्सेनुसार उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की कहने यपर वह साफ इन्कारी हो गये और विवादित आराजी को रहन,वय, मुन्तकिल करने की धमकी दी। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के 1/4 भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आंशिक रूप से प्राथमिक डिक्री करते हुए, नायब तहसीलदार, उच्चैन को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि निर्णय व डिक्री, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल मंसुखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय खिलाफ अपीलाण्ट वहक रैस्पोडेण्ट देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानकार निर्णय व डिक्री पारित किया

है, जबकि विवादित आराजी मुतनाजा में से कुछ जमीन अपीलाण्ट के पिता ने खरीद कर तथा कुछ स्वयं की आराजी होने पर भी उसे भी पैतृक आराजी मानकर तहत न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भूल की है। रैस्पो0 बचन सिंह आराजी खसरा नम्बर 41 रकवा 04 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम खुडासा में से अपना 1/4 हिस्सा का बेचान महाराज सिंह को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से कर चुका था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर किसी प्रकार को कोई ध्यान नहीं दिया एवं ना ही रैस्पो0 वचन सिंह ने दावे में किशनलाल की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जबकि किशनलाल की तीन पुत्रियों ने ओन ओथ अदालत में बयान दिये हैं इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की पेश कर्दा दस्तावेजी साक्ष्य व वयानात पर विचार ना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 अपने हिस्से की आराजी को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर चुका है। अतः उनका विवादित आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, रैस्पो0/वादी का दावा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर, विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अपीलाण्ट की यह कथन की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अपीलाण्ट के स्वःअर्जित खसरा नम्बर भी प्राथमिक डिक्री में शामिल कर लिये हैं, सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 5 खसरा नम्बरो को डिक्री नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट की यह आपत्ति की किशनलाल की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया, निराधार है। क्योंकि अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है। वैसे भी किशनलाल की मृत्यु सन् 1956 में होने के कारण, बहनों का विवादित आराजी में कोई हक नहीं बनता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित सात तनकियॉ निर्धारित की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01 ''आया वादपत्र में अंकित विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है, जिस पर वादी 1/4 हिस्से पर काबिज है। अतः वादी विवादित आराजी में 1/4 हिस्से को बतौर खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है'' अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वहक रैस्पो0/वादी, विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी तय की है। हम पाते हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–5, प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 (जमाबन्दी संवत 2012 की प्रतिलिपि) में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 11, 88, 89 कुल रकवा 17 बीघा 14 विस्वा में 1/3 हिस्से में, खसरा नम्बर 355, 356, 490, 905, 906, 957, 958, 959, 962, 351, 354, 899/3 कुल रकवा 28 बीघा 15 विस्वा के 1/3 हिस्से में, खसरा नम्बर 430/3 मिन रकवा 01 बीघा 10 विस्वा के 1/3 हिस्से में एवं खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 32, 72, 73, 124 कुल रकवा 13 बीघा 01 विस्वा सम्पूर्ण में रैस्पो0/वादी व अन्य भाई गुमान सिंह एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पूर्वज बतौर गैर मौरूसी दर्ज है एवं संवत 2061–64 की जमाबन्दी की प्रतियों क्रमश 1,2,3 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 11, 88, 89, 488 में 1/3 भाग पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण 06 लगायत 12 के पिता/पति रोशन खातेदार दर्ज हैं। किन्तु इसमें 1/3 भाग में रैस्पो0/वादी व अन्य भाई गुमान सिंह व जगन के पुत्र गोपाल का काई हिस्सा दर्ज नहीं है। अन्य विवादित आराजी खसरा नम्बरों में रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 गुमान सिंह, अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 8 के पिता रोशन व जगन के पुत्र गोपाल का नाम बतौर खातेदार अंकित है, किन्तु रैस्पो0/वादी वचन सिंह का नाम अंकित नहीं है। विवादित आराजीयात में रैस्पो0/वादी व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का पिता/पूर्वज किशनलाल संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में ''गैर मौरूसी'' की हैसियत से अपने हिस्से में दर्ज है, जो उस समय विवादित आराजी में उसकी कब्जा–काश्त को साबित करता है व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके चारो पुत्र विरासत के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2061–64 के अवलोकन से स्पष्ट होता है उक्त रिकार्ड में रैस्पो0/वादी के नाम उसके 1/4 हिस्से का अंकन नहीं किया गया है, जो कि विधिसंगत व न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का यह कथन कि विवादित आराजी स्वःअर्जित आराजी है, को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है। यदि विवादित आराजी स्वःअर्जित सम्पत्ति होती तो, उनके पिता/पूर्वज किशनलाल के स्थान पर उनके नाम (रोशनलाल, गुमान सिंह व जगन सिंह) का नाम संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मौरूसी दर्ज होता। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी, उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वहक रैस्पो0/वादी निर्णित की है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

7. तनकी संख्या 2 व 3 :– तनकी संख्या 01 में प्रकरण के तथ्यों के विधिक परिप्रेक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर विवादित आराजी के 1/4 हिस्से में रैस्पो0/वादी के खातेदारी अधिकार तय किये जा चुके हैं। अतः रैस्पो0/वादी विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवा कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अपने हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

8. तनकी संख्या 4,5,6 :– तनकी संख्या 01, 02 व 03 खिलाफ अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण होने के कारण, वाद की शेष तनकियॉ अर्थहीन होने के कारण, समीक्षा किया जाना हम उचित नही समझते हैं।

9. दादरसी :– उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट/प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official